झारखण्ड सरकार

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रांची

पत्रांक :–वि0प्रा0योजना–53/11/12/बजट /रांची, दिनांक– 20.09.2022

प्रेषक,

अभय कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

निदेशक,
बी0आई0टी0 सिन्दरी।

विषय :– **वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्कीम बजट शीर्ष अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/महिला अभियंत्रण महाविद्यालय के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना एवं अन्य प्रयोजन हेतु कुल रू0 7,51,05,000/– (रू0 सात करोड़ एकावन लाख पांच हजार) मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित विभाग के पत्रांक–245/बजट दिनांक–30.03.2022 तथा विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0 02/योजना दिनांक 29.04.2022 एवं 11/योजना दिनांक 13.09.2022 के आलोक में वर्तमान वितीय वर्ष 2022–23 में संबंधित शीर्ष में उपबंधित राशि व्यय प्रयोजन हेतु कुल रू0 **7,51,05,000/– (रू0 सात करोड़ एकावन लाख पांच हजार)** मात्र की आवंटन की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	इकाई का नाम	OSP
1	वेतन	5701000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000101)
2	संविदा भता	34768000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000108)
3	कार्यालय व्यय	2500000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000315)
4	कार्यालय उपकरण	10000000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000317)
5	आपूर्ति एवं सामग्री	15000000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000323)
6	व्यावसायिक सेवाएँ	3536000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000329)
7	पुस्तकालय	2500000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000332)
8	दूरभाष	1000000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000333)
9	अन्य व्यय	100000.00 (विपत्र कोड़–43S22030011202000759)
	कुल	7,51,05,000.00
कुल 7,51,05,000/– (रू0 सात करोड़ एकावन लाख पांच हजार) मात्र		

2. उक्त राशि का वहन राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा–लघु शीर्ष–112–इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान–उप शीर्ष–02–स्नातक एवं स्नातकोतर पाठ्यक्रम का सुदृढ़ीकरण योजना के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2022–23 में उपबंधित राशि रू0 19,04,69,000/– (रू0 उन्नीस करोड़ चार लाख उनहत्तर हजार) मात्र के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि का दूसरे मदों में अपवर्तन या विचलन कदापि नही किया जाये। यह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाब देही होगी।

4. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह आश्वस्त होने के उपरान्त ही उक्त राशि की निकासी करेगें कि इस कार्य के लिये अन्य स्त्रोतों से राशि नहीं प्राप्त किया गया है।

5. यह राशि राज्य स्कीम से संबंधित है तथा कोड़ 0137 है।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी होगी कि राशि का भुगतान बैंक एकाउन्ट अंतरण के माध्यम से किया जाएगा।
7. राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी होगें।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आंवटनादेश निर्गत होने के पश्चात ही राशि की निकासी एवं व्ययन करने के क्रम में विपत्र पत्र पर तदनुसार उपर्युक्त कंडिका 02 के बजट शीर्ष विपत्र पर अंकित करेगें।
9. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17/4/98 के आलोक में की जाएगी राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व वित विभाग के उपर्युक्त पत्र में निहित दिशा–निर्देश एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत परिपत्रों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
10. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, धनबाद से की जायेगी।
11. वेतन मद एवं संविदा भत्ता की राशि वित्त विभाग के पत्रांक 432/बजट दिनांक 08.08.2022 के द्वारा प्रथम अनुपूरक से प्राप्त है।
12. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के संचालन हेतु आवश्यक क्रय का निष्पादन प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के द्वारा निदेशक, बी0आई0टी0 सिन्दरी के देख–रेख में तबतक होगा जबतक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के लिए अलग से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित न हो जाय।
13. वेतन मद एवं संविदा भत्ता इकाई की राशि को छोड़कर अन्य इकाईयों में उपलब्ध करायी जा रही राशि राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के लिए खर्च की जायगी। क्रय की गयी सभी सामग्री का Inventory list बनाकर प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी एवं DDO संयुक्त हस्ताक्षर कर अभिलेख संधारित रखेंगे। साथ ही रोकड बही खाता, स्टॉक रजिस्टर एवं अन्य संबंधित अभिलेख राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू के लिए अलग से तैयार कर संधारित रखेंगे।
14. स्वीकृति राशि के अंकेक्षण का अधिकार, महालेखाकार, झारखण्ड एवं वित विभाग (अंकेक्षण) को होगा।
15. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
16. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 का पालन सख्ती से किया जाएगा।
17. व्यय विवरणी, टी0भी0नं0, सहित संकलित एवं संधारित कर महालेखाकार कार्यालय जाकर लेखाओं का सत्यापन/मिलान त्रैमासिकी सुनिश्चितक करेंगे।

विश्वासभाजन

20/9/2022

(अभय कुमार सिन्हा)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–53/11/12/बजट /रांची, दिनांक– 20.09.2022

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2022

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–वि0प्रा0योजना–53/11/12/बजट /रांची, दिनांक– 20.09.2022

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग झारखण्ड/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/आन्तरिक वितीय सलाहकार/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/बजट पदाधिकारी/प्रभारी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू/सहायक निदेशक–II को Upload हेतु/प्रभारी निर्गत शाखा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची को एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में रखने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/9/2022

(रवीन्द्र प्र0 बर्णवाल)
प्रशाखा पदाधिकारी

(अजय कुमार सिंह)
अवर सचिव

सरकार के संयुक्त सचिव